पर्यूषण पर्व पर पशुवध गृह एवं मांस का विक्रय प्रतिबंधित
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, ग्वालियर का ऐतिहासिक निर्णय

Rajendra Kumar Gangwal Advocate, Shivpuri Vs. State of M.P. & Others
W.P.No.6101/2015

दिगम्बर जैन संत महाविभूति परमपूज्य सन्तशिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के यशस्वी शिष्य त्रय मुनि श्री 108 अभयसागर जी महाराज, मुनि श्री 108 प्रभातसागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 पूज्यसागर जी महाराजों ने शिवपुरी, मध्यप्रदेश में वर्षायोग– 2015 के सुअवसर पर अनेक विशिष्ट योजनाओं पर बहुत महत्त्वपूर्ण और समाजोपयोगी चर्चाएँ कीं और उनका लाभ समस्त जैन समाज के विभिन्न व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार प्राप्त हुआ। ऐसी ही एक चर्चा के दौरान मुनि श्री अभयसागर जी ने बतलाया कि शीघ्र ही पर्यूषण पर्व आने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के न्यायमूर्तिद्वय श्री एच. के. सेमा एवं श्री मार्कण्डेय काटजू द्वारा दिनांक 14 मार्च, 2008 को **"हिंसा विरोधक संघ विरुद्ध मिर्जापुर मोती कुरैश जमात एवं अन्य"** संबंधी **सिविल अपील नं. 5469–70–72–74–76–78–79–80–81/2005** के प्रकरण में ऐतिहासिक फैसला देते हुये यह निर्देश दिया है कि जैन धर्म के पर्यूषण पर्व के पावन अवसर के दिनों में पशुवध गृह (बूचड़खाना) एवं मांस के विक्रय की दुकानें बन्द रखे जाने बाबत आदेश पारित किये हैं (AIR-July–2008–Supreme Court 1892 S.C. – S.C. 1903)। साथ ही राजस्थान शासन, छत्तीसगढ़ शासन, हरियाणा शासन (नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय) द्वारा प्रति वर्ष पर्यूषण पर्वों पर पशुवध गृह एवं मांस के विक्रय पर भी प्रतिबन्ध हेतु आदेश पारित किये हुये हैं।

माननीय उच्चतम न्यायालय के उपर्युक्त आदेश आदि के तारतम्य में मध्यप्रदेश के पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता श्री एम. पी. एस. रघुवंशी, ग्वालियर, म.प्र. से चर्चा हुई और उन्होंने एक जनहित याचिका मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में प्रस्तुत करने की सलाह दी। त्रय मुनिराजों के आशीर्वाद से अल्पसंख्यक जैन समाज के लिए भारत के संविधानगत अनुच्छेद धारा 25 तथा 26 के अन्तर्गत अपना धर्म स्थापित करने एवं उसे बनाये रखने का भी संवैधानिक अधिकार है, का हवाला देते हुये उंक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के संदर्भ में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 मध्यप्रदेश शासन; द्वारा – प्रिंसिपल सेक्रेटरी – नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय; प्रत्यर्थी क्र. 2 – माननीय कलेक्टर महोदय – ग्वालियर; प्रत्यर्थी क्रमांक 3 – माननीय कलेक्टर महोदय – शिवपुरी; प्रत्यर्थी क्रमांक 4 – माननीय आयुक्त- नगर पालिक निगम, ग्वालियर और प्रत्यर्थी क्रमांक 5 – मुख्य नगर पालिका परिषद अधिकारी – शिवपुरी को भी इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि दिगम्बर जैन समाज के पर्यूषण पर्व (दसलक्षण महापर्व) इस वर्ष भाद्रपद सुदी चौथ से चौदस तक यानी शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2015 से रविवार, 27 सितम्बर, 2015 तक आयोजित होंगे। अतः उन दिनों में मीट मार्केट तथा बूचड़खाना (Slaughter houses) बन्द करने एवं गौवध, मछली और मांस विक्रय पर भी प्रतिबन्ध के आदेश पारित करें।

उपर्युक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् दिनांक 09–09–2015 को एक जनहित याचिका (PIL) माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर में **'राजेन्द्रकुमार गंगवाल एडवोकेट, शिवपुरी विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य शासन एवं अन्य'** के विरुद्ध एडवोकेट राजेन्द्रकुमार गंगवाल, शिवपुरी तथा एडवोकेट वैभव जैन, ग्वालियर ने प्रस्तुत की, जो W.P.No.6101/2015 पर रजिस्टर्ड हुई और दिनांक 11–09–2015 को आदेश पारित कर ग्राह्य हुई।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर खण्डपीठ के न्यायमूर्तिद्वय श्री यू. सी. माहेश्वरी तथा श्री सुशीलकुमार गुप्ता ने अपने आदेश दिनांक 16–09–2015 में निर्देशित किया है कि चूँकि दिगम्बर जैन समुदाय के पर्यूषण पर्व 18–09–2015 से 27–09–2015 तक होने जा रहे हैं। अतः पशुवध गृह एवं मांस विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाये जाने बाबत अस्थाई रोक के आदेश पारित किए जाते हैं।

प्रकरण की सुनवाई के दौरान एक इन्टरवीन (मध्यक्षेप) याचिका डॉ. जितेन्द्रकुमार जैन, ग्वालियर ने तृतीय पक्षकार के रूप में नं. I.A.6275/2015 प्रस्तुत की। और इसी प्रकार एक इन्टरवीन (मध्यक्षेप) याचिका कबीर कुरैशी, पुत्र – शिराज कुरैशी, ग्वालियर ने नं. I.A.6389 /2015 प्रस्तुत की, जो प्रत्यर्थी क्रमांक 6 के रूप में ग्राह्य हुई।

प्रत्यर्थी क्रमांक 4 – आयुक्त, नगर पालिक निगम, ग्वालियर ने क्रमांक 04/14/2/10/स्वा0 वि/15, दिनांक 18/09/2015 को आदेश पारित कर पर्यूषण पर्व में दिनांक 18/09/2015 से 27/09/2015 तक मांस विक्रय केन्द्र एवं बूचड़खानों आदि पर भी प्रतिबन्ध लगाने बाबत आदेश पारित किए।

Scanned with CamScanner

प्रत्यर्थी क्रमांक 6 ने अपनी याचिका में न्यायालय से केवल यह निवेदन किया कि 25 एवं 26 सितम्बर, 2015 को मुस्लिम समुदाय का 'बकरा ईद' का पर्व है । अतः रोक आदेश में 25–09–2015 एवं 26–09–2016 की छूट प्रदान करने बाबत आदेश पारित करें। न्यायालय ने 22 सितम्बर, 2015 को अपने रोक आदेश में बकरीद के त्यौहार को देखते हुये दिनांक 25 एवं 26 सितम्बर, 2015 हेतु दो दिन की छूट प्रदान के संशोधित आदेश पारित किए।

आयुक्त – नगर पालिक निगम, ग्वालियर ने अपने संशोधित आदेश क्रमांक 1/15/2/10/सा. प्र. विभाग, दिनांक 21 सितम्बर, 2015 एवं कार्यालय, नगर पालिका परिषद, शिवपुरी ने क्रमांक न.पा.प. 3136/2015, दिनांक 22–09–2015 को मुस्लिम समुदाय के 'बकरा ईद' के त्यौहार के मद्देनजर दिनांक 25/09/2015 तथा 26/09/2015 को दो दिन पशुवध, पशुवध गृह एवं मांस विक्रय किए जाने बाबत संशोधित आदेश पारित किए।

मध्यप्रदेश शासन ने अपने जबाब में कहा कि पूर्व में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय द्वारा क्रमांक 2248/2006/अठारह–3, भोपाल, दिनांक 30–03–07 द्वारा पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकानें बन्द रखने बाबत आदेश सत्रह (17) दिवसों के हेतु जारी किये हुये हैं, अतः अन्य आदेश की आवश्यकता नहीं है।

पक्षकार क्रमांक 1 की प्रस्तुत अवमानना याचिका I.A.No 6417/2015 पर न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता को स्पष्ट रूप से हिदायत दी कि दिनांक 16/09/2015 के आदेश के पालन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक शासन द्वारा क्या कार्रवाई की तथा क्या निर्णय लिया है और न्यायालय के आदेश का पालन क्यों नहीं हो रहा है – इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करें।

इस न्यायालयीन हिदायत के बाद मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट एवं शपथ पत्र के साथ न्यायालय के रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यालयीन आदेश क्रमांक एफ 6–59/2010/18/3/ भोपाल, दिनांक 23–09–2015 को मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार (ओमप्रकाश श्रीवास्तव) उप–सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा आयुक्त – नगर पालिक निगम, समस्त (मध्यप्रदेश) तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी– नगर पालिका एवं नगर परिषद– समस्त (मध्यप्रदेश) को प्रेषित निर्देश की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें स्पष्ट किया है कि पूर्व में 17 दिवसीय बन्द विषयक आदेश को छोड़कर उच्चतम न्यायालय के आदेश के तारतम्य में सम्बंधित नगरीय निकाय को पशुवध गृह तथा मांस बिक्री के केन्द्रों को अपने स्तर पर बन्द करने हेतु निर्देशित कर आदेश पारित किया है।

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा अनुपालन रिपोर्ट में राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार प्रेषित की गई प्रति प्राप्त होने के बाद दिनांक 19–11–2015 को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, ग्वालियर के न्यायमूर्तिद्वय श्री एस. सी. शर्मा तथा श्री डी. के. पालीवाल द्वारा यह आदेश पारित किया :–

(1) मध्यप्रदेश शासन के द्वारा पर्यूषण पर्व के दिनों में पूर्णरूपेण पशुवध गृह तथा मांस विक्रय केन्द्र बन्द रखने बाबत प्रस्तुत की गई (दिनांक 18–09–2015 से 27–09–2015 तक हेतु) है।

(2) मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय द्वारा अपनी अनुपालन रिपोर्ट मय आदेश दिनांक 23–09–2015 में यह स्पष्ट किया है कि राज्य शासन ने स्थानीय निकाय के अधिकारियों को आदेश पारित करने के निर्देश दे दिये हैं कि वह पशुवध गृह को बन्द तथा मांस के विक्रय पर भी प्रतिबन्ध लगाए जाने हेतु वे आवश्यकतानुसार अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं।

(3) नगर पालिक निगम, ग्वालियर ने पूर्व में ही अपनी अनुपालन रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया है कि निगम के द्वारा दिनांक 21–09–2015 को आदेश जारी कर दिनांक 18–09–2015 से 27–09–2015 तक पशुवध, पशुवध गृह तथा मांस विक्रय केन्द्र बन्द रखने के आदेश जारी कर दिये हैं।

(4) इसी प्रकार प्रत्यर्थी क्र. 5– नगर पालिका परिषद, शिवपुरी ने भी आदेश पारित कर दिये हैं।

चूँकि पर्यूषण पर्व समाप्त हो चुके हैं और राज्य शासन आदि के द्वारा भी आदेश पारित हो चुके हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुये पूर्व में ही बन्द के आदेश दिये जा चुके हैं, इसलिये तथ्यों पर कोई समीक्षा नहीं की जाती एवं याचिका निष्फल होने से निरस्त योग्य मानी जाती है।

प्रेषक – राजेन्द्रकुमार गंगवाल, एडवोकेट, 35 – गांधी कॉलोनी, शिवपुरी – 473 551, मो. 94256–33671, 94256–33677
E-mail- gangwalrajendraragini20@gmail.com

Scanned with CamScanner